



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 297) पटना, शुक्रवार, 9 अप्रील 2021

IE 08@vkjki&01&04@2020&4369@lk0i0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अप्रील 2021

वर्ष-2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-839/11, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2372 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 6591 दिनांक 06.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. श्री कुमार सम्प्रति 13 माह से निलंबित है एवं उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है। फलतः सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव श्री शैलेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-839/11, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना (सम्प्रति निलंबित) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार निलंबन से मुक्त होने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान देगे।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी एवं उनके निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

vk'n'k %&vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkti= d vxy v l k/kkj.k vd
e i:dkf'kr fd;k tk; rFkk bldh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fl jkt lhu v l kjh
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 297-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>